fidh

शोरूम के पीछे: भारत के परिधान कार्यकर्ताओं की छिपी वास्तविकता

कार्यकारी सारांश

Article 1: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 2: Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. Article 3: Everyone has the right to life, liberty and security of person. Article 4: No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5: No one shall be subjected to torture or to cruel,

अप्रैल २०१४ / N°634h

कवर फोटो : तमलिनाडु में एक कपडा. कारखाने में कर्मीगण (© FIDH)

कार्यकारी सारांश

FIDH ने भारत में परिधान श्रमिकों की कार्य-परिस्थितियों और मानवाधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए जुलाई २०१३ में भारत में एक मिशन का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत सुमंगली योजना के प्रचलन का अवलोकन भी किया गया। मिशन प्रतिनिधियों ने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में एक जूता-कारखाना और चार तैयार-परिधान कारखानों, जो वैश्विक ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं की आपूर्ति करते हैं, और तीन हॉस्टलों का स्थल पर जाकर दौरा किया। स्थानीय व्यापार संघों और गैर-सरकारी संगठनों, और साथ ही साथ विशेषज्ञों, जिनके अनुसंधान ने इस रिपोर्ट में प्रस्तुत टिप्पणियों और विश्लेषण को समृद्ध किया, के साथ साक्षात्कार (इंटरव्यू) आयोजित किया गया।

भारत में कपड़ा क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन को २५ साल के त्वरित आर्थिक विकास और उदारीकरण के संदर्भ में समझना होगा, जिसने भारतीय सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं, कानूनी ढांचे की रिक्तता और राष्ट्रीय कानून की अपर्याप्त प्रवर्तन के साथ मिलकर, अनुचित कार्य-परिस्थिति और गंभीर मानवाधिकार के हनन को बढ़ाने में योगदान दिया है।

मुख्य निष्कर्ष

FIDH ने अपने मिशन के दौरान एवं स्थानीय व्यापार संघों, गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के साथ आयोजित साक्षात्कार के फलस्वरूप, कपड़ा-कारखानों के कार्यस्थल और हॉस्टलों में गंभीर मानवाधिकारों के मुद्दों की पहचान की। अनिश्चित रोजगार और कार्य-परिस्थिति एवं अपर्याप्त स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय आम बात है। ठेका-श्रम और शिक्षुता का असंगत उपयोग, कानूनी सुरक्षा और लाभ से कर्मियों को वंचित रखना, साथ ही अतिरिक्त समय काम और न्यूनतम वेतन से कम आय, कपड़ा-कारखानों के वर्तमान मुद्दों में से हैं। परिधान-कर्मियों को कारखानों के भीतर और हॉस्टल दोनों में, आने-जाने की स्वतंत्रता पर पाबन्दी द्वारा एवं अन्य माध्यम से, प्रतिबंध के एक खतरनाक स्तर के अधीन रखा जा सकता है। परिधान-कारखानों की सुविधायें, जैसे " डॉक्टरों के कमरे" और शौचालय, जिन-जिन कारखानों का दौरा किया गया उन सबमें खाली पाए गए, जो उच्च उत्पादकता को बनाए रखने के लिए एक तीव्र दबाव की ओर इंगित करता है।

कपड़ा-कारखानों में लैंगिक भेदभाव मजबूत स्थिति बनाये हुए है, और भर्ती-चरण में विवाहित महिलाओं के खिलाफ विशेष रूप से प्रकट होते हैं। स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों ने बताया कि अपमान और मौखिक एवं यौन उत्पीड़न सहित अन्य शारीरिक शोषण कारखानों और हॉस्टल में होने वाले बारम्बार मुद्दे हैं। प्रवासी कामगारों और "निचली जातियों" के कर्मियों, विशेष रूप से दलितों, को भी भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार बनाया जा सकता है।

नियोक्ता अक्सर युवा-श्रमिकों के रोजगार के बारे में कानूनी आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं, और बाल-श्रम पर कानूनी निषेधाज्ञा को लागू करने में, नियंत्रणों जैसे कि उम्र प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि करने की असमर्थता के कारण, कठिनाइयां आती हैं। सुमंगली योजना (एक रोजगार योजना जिसमें बंधुआ मजदूरी कहला सकने वाले तत्त्व शामिल हैं) का चलन, विशेष रूप से कताई मिलों में, जारी है। इसके जवाब में स्थापित बहु-हितधारक पहल केवल थोड़ा ही ठोस सुधार ला पाये हैं और सुमंगली योजना उन्मूलन में नाकाम रहे हैं।

कपड़े के कारखानों में ट्रेड यूनियनों एवं कार्यशील शिकायत-तंत्र के निकट अभाव के साथ-साथ यूनियनों के स्थापन में आने वाली कानूनी और व्यावहारिक बाधाएं, समिति बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी शामिल है, का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं।

भारतीय उत्पादकों की भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ

गारमेंट फैक्टरी के मालिक और प्रबंधक लेखा परीक्षकों (auditors), गैर-सरकारी संगठनों, या विदेशी कंपनियों द्वारा अघोषित दौरों के आदी हैं एवं इनके लिए अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। बाहरी आगंतुकों के आगमन पर, वे कारखानों में काम करने की स्थिति की एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए और विदेशी खरीददारों की "सामाजिक आवश्यकताओं" का अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए एक परिष्कृत शो प्रतिक्रिया की तैनाती करते हैं। FIDH मिशन-प्रतिनिधियों के दौरों के दौरान, कारखाना प्रबंधकों और हॉस्टल अभिभावकों ने साक्षात्कार किये जा रहे कर्मियों के जवाबों का निर्देशन किया या सुधारा, जिसमें आत्म- नियन्त्रण सुस्पष्ट था। फैक्टरी मालिकों और प्रबंधकों ने गलत और अक्सर विरोधाभासी जवाब प्रदान किये, और जो दस्तावेज़ दिखायें उनकी मिशन-प्रतिनिधियों द्वारा पार की जाँच नहीं की जा सकीं।

स्थानीय व्यापार-संघों और गैर-सरकारी संगठनों के अनुसार, कारखाने-स्तर पर कार्य-परिस्थितियों की वास्तविकता को छुपाने के लिए कपड़ा-कारखाने अक्सर नकली दस्तावेज़ों, जैसे कि उम्र प्रमाण पत्र, का इस्तेमाल करते हैं, और शिकायत दबाने हेतु कर्मियों पर तंग निगरानी रखते हैं। गारमेंट-फैक्टरी विशिष्ट उद्देश्य से मालिक और प्रबंधक सिविल सोसाइटी की निगरानी में बाधा डालते हैं, जो सरकार के श्रम निरीक्षण में कमजोरी, और कारखाने-स्तर पर ट्रेड यूनियनों के निकट अभाव के साथ मिलकर भारत के कपड़ा-कारखानों के कर्मस्थल पर श्रम और मानव अधिकारों के उल्लंघन को फैलाने में योगदान देती है।

कपड़ा-कारखानों में ट्रेड यूनियनों की शुरूआत करने की अनुमति देने में मालिक और पर्यवेक्षकों (supervisors) की अनिच्छा कर्मियों को समिति बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी शामिल है, से वंचित करती है। प्रबंधक अक्सर यूनियनों को अनावश्यक बतलाते हैं और मौजूदा श्रमिक-समितियों को

उनके संतोषजनक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि इनका निर्वाचन लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होता और न ही ये वास्तविक रिपोर्टिंग और शिकायतों के निवारण में सक्षम हैं।

व्यापक रूप से स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मानकों, जैसे संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानवाधिकार पर मार्गदर्शक सिद्धांत (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) का कहना है कि कपड़ा-कारखानों और कताई-मिलों के ऊपर मानवाधिकारों का सम्मान करने की ज़िम्मेदारी है । भारतीय उत्पादकों को अपने कर्मचारियों के अधिकारों का आदर करना चाहिए, और अपने आपूर्तिकर्ताओं पर कताई-मिलों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दबाव बनाना चाहिए।

वैश्विक ब्रांड की भूमिका एवं ज़िम्मेदारियाँ

यह रिपोर्ट वैश्विक ब्रांड के 'आचार संहिताओं', और इस तरह की संहिताओं के साथ अनुपालन की निगरानी के लिए स्थापित सामाजिक अंकेक्षण (social audits) की प्रणाली की सीमाओं पर प्रकाश डालता है, जो जटिल मानवाधिकार हनन का आकलन करने एवं रोकने के लिए अनुपयुक्त हैं। वैश्विक ब्रांड की सामाजिक प्रतिबद्धताओं और परिधान मजदूरों के कारखानों के अंदर की वास्तविकताओं के बीच ज़बरदस्त बेमेल है । इसके अतिरिक्त, सामाजिक अनुपालन नीतियाँ और प्रणालियाँ आमतौर से प्रथम स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं तक सीमित रहकर दूसरे और तीसरे स्तर के उत्पादकों, जैसे कि कताई-मिलों, द्वारा श्रम और मानव अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी करते हैं । सुमंगली योजना की अंतरराष्ट्रीय निंदा होने की कृपा से वैश्विक ब्रांडों और भारतीय निर्माताओं को शामिल कर कदम उठायें गयें हैं। परन्तु फिर भी, ठोस स्थायी सुधार सीमित और अपर्याप्त रहे हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों, जैसे कि वैश्विक ब्रांडों पर मानवाधिकारों का सम्मान करने और अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर मानवाधिकार उपयुक्त यत्न (due diligence) निभाने की ज़िम्मेदारी होती है। ब्रांडों को सीधे अपने अथवा अपने आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े हुए अभियानों से होने वाले प्रतिकूल मानवाधिकारों के प्रभावों को पहचानना, रोकना, कम करना तथा निवारण करना चाहिए, भले ही उनका इस तरह के प्रभावों में कोई सीधा योगदान न रहा हो। FIDH ने एशिया के अन्य देशों में वैश्विक ब्रांडों की क्रय-प्रणाली का पूरे आपूर्ति-श्रृंखला में काम की परिस्थितियों पर सीधा असर पड़ते देखा है:[1] आदेश अनुसूचियों में बदलाव, तंग उत्पादन योजना और कीमतों पर नीचे से

[1] देखें ‘China’s workers are calling for a change। What role should brands play?’, FIDH and CLB, May 2013 and 'Bangladesh: Labour Rights in the Supply Chain and Corporate Social Responsibility', FIDH, June 2008.

दबाव श्रम अधिकारों के उल्लंघन में योगदान देते हैं। आपूर्ति-श्रृंखला में पारदर्शिता की कमी कपड़ा-कारखानों में मानव अधिकारों के सम्मान के मामले में प्रगति को और रोक देती है। वैश्विक ब्रांडों की आर्थिक ताकत और उत्पादकों के अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए, उन्हें भारत में कपड़ा-कारखानों में काम करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रभाव डालना चाहिए और एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अंत में, कर्मियों को अपने काम करने की स्थिति में सुधार लाने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए और अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम होने के लिए सशक्त होने की ज़रूरत है।

सलाह

<u>भारतीय सरकार को</u>

- आईएलओ कन्वेंशन नं० ८७ अॅन फ्रिडम अॅफ एसोसिएशन ऐंड प्रोटेक्शन अॅफ दी राइट टु अॅरगनाइज (Freedom of Association and Protection of the Right to Organize), नं० ९८ अॅन दी राइट टु अॅरगनाइज ऐंड कलैक्टिव बारगेनिंग (Right to Organize and Collective Bargaining), नं० १८१ अॅन प्राइवेट एम्प्लौयमेंट एजेंसीज (Private Employment Agencies), नं० २९ अॅन फोर्स्ड लेबर (Forced Labour), नं० १७७ अॅन होम वर्क (Home Work), एवं नं० १०५ अॅन दी अबोलिशन अॅफ फोर्स्ड लेबर (Abolition of Forced Labour) की अभिपुष्टि।

- बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (Convention on the Rights of the Child) के अनुच्छेद ३२ (Article 32) पर लगाया गया डिक्लेरेशन (declaration) वापस लें।

- आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल (Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) की अभिपुष्टि।

- अंतरराष्ट्रीय श्रम और मानव अधिकारों के मानकों के साथ पंक्तिबद्ध करने हेतु, विशेष रूप से निम्नलिखित सुनिश्चित करते हुए, राष्ट्रीय कानून में संशोधन:
  - सभी कार्यकर्ताओं के, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में, संगठित होने, सामूहिक रूप से सौदा करने, और हड़ताल करने के अधिकार पर कानूनी और व्यावहारिक प्रतिबंध का उन्मूलन;
  - अधिकतम शिक्षुता अवधि में उल्लेखनीय कटौती, जिससे शिक्षुता के लिए निर्धारित वर्तमान के ३ वर्ष की अवधि के फलस्वरूप हो सकने वाले शोषण से बचा जा सके।
- स्थानीय और जिला स्तर पर श्रम-निरीक्षण को आवश्यक राजनीतिक, वित्तीय

और मानव संसाधनों के आवंटन के माध्यम से सुदृढ़ करें। विशेष रूप से, श्रम निरीक्षकों में भ्रष्टाचार का समाधान करें।

- दण्ड से मुक्ति का अंत और श्रम अधिकारों के उल्लंघन पर पारदर्शी, त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करें। पीड़ितों को निवारण उपलब्ध होने की निश्चितता देनी चाहिए।
- टुकड़ा दर प्रणाली (piece rate system) के प्रयोग से बचें, या कम से कम, यह सुनिश्चित करें कि लक्ष्य-सीमा उतने कार्य के अनुरूप हो जितना उत्पादन श्रमिकों की एक बड़ी संख्या बिना ओवरटाइम घंटों के करने में सक्षम है।
- सुनिश्चित करें कि अनौपचारिक क्षेत्र की मान्यता की दिशा में नीतियों का विकास, और श्रम अधिकारों, समिति एवं ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार, और जीने के पर्याप्त प्रसाधनों (जैसे, निर्वाह-मजदूरी) सहित, परन्तु सीमित नहीं, का संरक्षण हो।
- उत्पादकों, वैश्विक ब्रांडों, गैर-सरकारी संगठनों और मौजूदा ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से कपड़ा कारखानों में श्रमिकों के संघीकरण (unionisation) को सुकर बनाएं।
- सुनिश्चित करें कि ट्रेड यूनियन के सदस्यों और श्रम कार्यकर्ताओं पर हमलों और उत्पीड़न पर पारदर्शी, त्वरित और निष्पक्ष जांच हों।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निवेश, जिससे वृत्ताकार प्रवसन प्रवृत्ति (circular migration) से होने वाले मानवाधिकारों के हनन से निपटने के लिए गरीब और अविकसित क्षेत्रों में, जहां नौकरियां दुर्लभ हैं, वहां अवसर प्रदान किया जा सके।

<u>भारत के कपड़ा-उत्पादकों और कारखाना-मालिकों को</u>

- बाल श्रम, प्रशिक्षु, काम के घंटे और भेदभाव से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का सम्मान करें।
- आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यापार भागीदारों द्वारा माने जाने वाले सुमंगली या इस तरह की योजनाओं के जोखिम को, विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, आकलन करें:
  - शयनगृह या हॉस्टल का होना, और दलाल-माध्यम से भर्ती प्रणाली, और एकमुश्त भुगतान,
  - ट्रेड यूनियनों की अनुपस्थिति,
  - बैंक खातों के रिकॉर्डों में वेतन की रोक का संकेत,
  - श्रमिक समितियों के लिए स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनावों का अभाव, और
  - स्वतंत्रतापूर्वक आने-जाने पर प्रतिबंध, व अन्य।
- वो कारोबार जिन पर सुमंगली या इस तरह की रोज़गार योजनाओं, जिन्हें

बंधुआ मजदूरी माना जा सकता है, को मानने का संदेह हो, उनके साथ व्यावसायिक संबंधों में प्रवेश करने से बचें।

- आपूर्तिकर्ताओं जैसे कि कताई-मिलों पर प्रभाव डालें, जिससे कि मानवाधिकारों के प्रति सम्मान वाणिज्यिक संबंधों के शर्त के रूप में सुनिश्चित किया जा सके।
- कपड़ा-कारखानों में ट्रेड यूनियनों को जाने की अनुमति दें और सुकर बनाएं।
- सुनिश्चित करें कि श्रमिक-समितियों का निर्वाचन लोकतांत्रिक ढंग से हों और वे बिना जवाबी कार्रवाई के डर के कर्मियों के मुद्दों को उठाने एवं उनका समाधान करने के लिए उपयुक्त मंच बनें।
- मायने-वार्ता (negotiations) में सचमुच में संलग्न हों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए मुक्त चुनाव करने की अनुमति दें, जिससे कर्मी सामूहिक सौदेबाजी में शामिल हो सकें।
- कर्मियों को वेतन के रूप में निर्वाह-मजदूरी दें, जो उनके एवं उनके परिवार द्वारा जीने के पर्याप्त प्रसाधनों का आनंद उठाने के लिए काफ़ी हो।
- सामाजिक अंकेक्षण में पूर्ण और प्रामाणिक दस्तावेज प्रदान कर तथा कर्मियों के साक्षात्कार में दखल न देकर सद्भावपूर्वक भाग लें।
- कर्मस्थल और हॉस्टल में सभी प्रकार के भेदभाव से निपटने के उपायों को लागू करें।

<u>भारत में आने वाले वैश्विक ब्रांड के गृह-देशों को</u>

- ऐसा कानून बनाएं जिसके अंतर्गत कंपनियों का उनके कॉर्पोरेट ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला के बारे में, उत्पादन साइटों के स्थान सहित, जानकारी का खुलासा करना आवश्यक हो, और उनकी गतिविधियों में निहित जोखिम और उनके वास्तविक मानव अधिकार प्रभावों, साथ ही साथ इस तरह के प्रभावों से निपटने के लिए उठाये गए क़दमों पर रिपोर्ट दें।[2]

- ऐसा कानून बनाएं जिसके अंतर्गत उनके अधिकार-क्षेत्र में आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपनी पूरी आपूर्ति-श्रृंखला पर मानवाधिकार उपयुक्त यत्न निभाना आवश्यक हो।

---

[2] उदाहरणार्थ, हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा अपनाये गए विधायी सुधार (legislative reform) जैसे अवसरों का लाभ उठाते हुए जिसके अंतर्गत बड़ी कंपनियों के लिए अपने वार्षिक कंपनी की रिपोर्ट में सामाजिक, पर्यावरण और मानव अधिकार के प्रभावों पर रिपोर्ट करना आवश्यकता है।

- ऐसे उपायों का उपक्रम करें जिससे जिन ब्रांडों के मुख्यालय उस गृह-देश के क्षेत्र में और/या उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो, उनसे जुड़े श्रम और अन्य मानव अधिकार हनन के पीड़ितों को राष्ट्रीय अदालतों में प्रभावी न्यायिक निवारण उपलब्ध हो।

- भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में, सुमंगली तथा काम करने की अनुचित स्थिति के मुद्दों को भारत सरकार के सामने उठाएं।

- भारत को किसी भी रूप में सहायता या समर्थन उपलब्ध कराते समय, भारत सरकार पर कपड़ा-क्षेत्र में सामाजिक और श्रम अधिकारों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने पर बल दें।

<u>भारत में वैश्विक ब्रांडों और भेजने वाले खुदरा-विक्रेताओं को</u>

वैश्विक ब्रांड और खुदरा-विक्रेताओं को अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में मानव अधिकारों का सम्मान बनाये रखना चाहिए, एवं प्रतिकूल मानव अधिकारों के प्रभावों को पहचानकर, रोककर तथा उन्हें कम कर मानवाधिकार उपयुक्त यत्न निभाना चाहिए। वैश्विक ब्रांडों को :

- अपनी पूरी आपूर्ति-श्रृंखला में अपनी संभाव्य और वास्तविक मानव अधिकार प्रभाव की पहचान करने हेतु, मानव अधिकारों के जोखिम का आकलन स्थानीय मुद्दों और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुकूल व्यापक ढंग से करना चाहिए।
- सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक अंकेक्षण आपूर्ति-कारखानों में श्रम अधिकारों और मानवीय अधिकारों के हनन का पता लगा सकें।

- मूल्यांकन और अंकेक्षण का विस्तार निचले-स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं, जैसे कि कताई-मिलों, तक करना चाहिए।

- भारत के आपूर्तिकर्ताओं की संपूर्ण सूची का खुलासा करना चाहिए।

- पूरी उत्पादन-श्रृंखला में पता लगाने की योग्यता और सामाजिक अनुपालन में सुधार लाने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ स्थिर और दीर्घकालिक संबंधों के पक्ष में रहना चाहिए। "एकीकृत आपूर्तिकर्ताओं" को विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए।

- भारतीय उत्पादकों, कपड़ा कारखाने के मालिकों और अधिकारियों पर प्रभाव बनाना चाहिए, जिससे वे मानव अधिकारों के प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें।

- भारत में भेजने वाले वैश्विक ब्रांडों के बीच, मजबूत बहु-हितधारक पहल सहित, सहयोग के प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, जिससे सामाजिक अंकेक्षण प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित हो सके, और ख़ासकर, दाँव पर लगे जटिल मुद्दों का समाधान एक ठोस, समन्वित एवं सार्थक तरीके से करने में उनके प्रभाव में अभिवृद्धि आए।

सुमंगली योजना और इस तरह के रोजगार योजनाओं पर:

- आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यापार भागीदारों द्वारा माने जाने वाले सुमंगली या इस तरह की योजनाओं के जोखिम का, विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, आकलन :
  - शयनगृह या हॉस्टल का होना, और दलाल-माध्यम से भर्ती प्रणाली, और एकमुश्त भुगतान,
  - ट्रेड यूनियनों की अनुपस्थिति,
  - बैंक खातों के रिकॉर्डों में वेतन की रोक का संकेत,
  - श्रमिक समितियों के लिए स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनावों का अभाव, और
  - स्वतंत्रतापूर्वक आने-जाने पर प्रतिबंध, व अन्य।
- वो कारोबार जिन पर सुमंगली या इस तरह की रोज़गार योजनाओं, जिन्हें बंधुआ मजदूरी माना जा सकता है, को मानने का संदेह हो, उनके साथ व्यावसायिक संबंधों में प्रवेश करने से बचें।
- सुमंगली योजना के जोखिमों को प्रस्तुत करने वाले कताई-मिलों के बारे में पता लगाएं।

<u>व्यापार और मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कार्य-समूह (United Nations Working Group on Business and Human Rights) को</u>

मेजबान-देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत का सम्मान करने हेतु उनकी ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट करें, और विधायी, प्रशासनिक और राजनीतिक उपायों को लागू करने के संबंध में सलाह प्रदान करें। विशेष रूप से, दण्ड से मुक्ति का अंत करने और पीड़ितों एवं उनके परिवारों के लिए प्रभावी न्यायिक और गैर-न्यायिक निवारण उपलब्ध कराने के लिए सलाह प्रदान करें।

- वैश्विक ब्रांडों की ज़िम्मेदारियाँ, निम्नलिखित सहित, परन्तु सीमित न रखते हुए, स्पष्ट करें :
  - आपूर्ति-श्रृंखला की वास्तविकता के आलोक में मानवाधिकार उपयुक्त यत्न के विषय-क्षेत्र, विशेष रूप से वैश्विक ब्रांडों से संबंधित क्रय-प्रणालियां ;
  - आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने और अनियंत्रित आउटसोर्सिंग को नष्ट कर, उत्पादन पर पूरा नियंत्रण सुनिश्चित करने का दायित्व ;

    - पारदर्शिता दायित्व ;
    - कर्मियों के प्रति ब्रांडों का दायित्व; एवं
    - प्रतिकूल प्रभावों, जिन पर उनका सीधे या परोक्ष रूप से योगदान रहा हो, उनका स्थायी इलाज (remediation) करने हेतु प्रक्रियाएं।
- बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के गृह- देशों को सलाह प्रदान करें, ताकि वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कपड़ा मजदूरों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकें एवं इनमें योगदान देने से परहेज़ करें।

fidh

Keep your eyes open

Establishing the facts

investigative and trial observation missions

Through activities ranging from sending trial observers to organising international investigative missions, FIDH has developed, rigorous and impartial procedures to establish facts and responsibility. Experts sent to the field give their time to FIDH on a voluntary basis.
FIDH has conducted more than 1 500 missions in over 100 countries in the past 25 years. These activities reinforce FIDH's alert and advocacy campaigns.

Supporting civil society

training and exchange

FIDH organises numerous activities in partnership with its member organisations, in the countries in which they are based. The core aim is to strengthen the influence and capacity of human rights activists to boost changes at the local level

Mobilising the international community

permanent lobbying before intergovernmental bodies

FIDH supports its member organisations and local partners in their efforts before intergovernmental organisations. FIDH alerts international bodies to violations of human rights and refers individual cases to them. FIDH also takes part in the development of international legal instruments.

Informing and reporting

mobilising public opinion

FIDH informs and mobilises public opinion. Press releases, press conferences, open letters to authorities, mission reports, urgent appeals, petitions, campaigns, website… FIDH makes full use of all means of communication to raise awareness of human rights violations.

FIDH represents 178 human rights organisations on 5 continents

FIDH - International Federation for Human Rights
17, passage de la Main-d'Or - 75011 Paris - France
CCP Paris: 76 76 Z
Tel: (33-1) 43 55 25 18 / Fax: (33-1) 43 55 18 80
www.fidh.org

Director of the publication: Karim Lahidji
Editor: Antoine Bernard
Author: Pía Navazo and Marion Cadier
With the contribution of FIDH mission delegates Marie-Ange Moreau, N. Jayaram, Paivi Mattila
Coordination : Marion Cadier and Geneviève Paul
Design : Julian Jeanne
Photographs : FIDH

Imprimerie de la FIDH - Dépôt légal Mai 2014 - FIDH (English ed.) ISSN 2225-1804 - Fichier informatique conforme à la loi du 6 janvier 1978 (Déclaration N°330 675)

FIDH represents 178 human rights organisations on 5 continents

inhuman or degrading treatment or punishment. Article 6: Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Article 7: All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. Article 8: Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. Article 9: No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Article 10: Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Article 11: (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty

ABOUT FIDH

FIDH takes action for the protection of victims of human rights violations, for the prevention of violations and to bring perpetrators to justice.

A broad mandate
FIDH works for the respect of all the rights set out in the Universal Declaration of Human Rights: civil and political rights, as well as economic, social and cultural rights.

A universal movement
FIDH was established in 1922, and today unites 178 member organisations in more than 100 countries around the world. FIDH coordinates and supports their activities and provides them with a voice at the international level.

An independent organisation
Like its member organisations, FIDH is not linked to any party or religion and is independent of all governments.

fidh

Find information concerning FIDH's 178 member organisations on **www.fidh.org**